

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य -/- रू0
 मालियत -/- रू0
 स्टाम्प -/- रू0
 दर -/- रू0 प्र0 वर्गमीटर
 मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के
 अन्तर्गत विक्रेता अनुसूचित जाति का
 है।

लेखपत्र पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : आवासीय
2. परगना :
3. स्थित ग्राम :
4. सम्पत्ति का विवरण :
5. मापन की ईकाई : वर्ग मीटर
6. प्लॉट का क्षेत्रफल : वर्गमीटर
7. सड़क की स्थित :
8. प्रतिफल की धनराशि : /- रू0
9. रेलवे स्टेशन से दूरी : किलो मीटर की दूरी पर
स्थित है।

चौहद्दी प्लॉट संख्या

पूरब :-
 पश्चिम :-
 उत्तर :-
 दक्षिण :-

विक्रेता व क्रेता का विवरण

विक्रेता का विवरण -01

.....
, मो0—, पैन नं0
 एवं

क्रेता का विवरण - 01

.....
, मो0—, पैन नं0

विक्रय पत्र

मैं कि की हूँ। मेरी अराजी काश्तकारी गाटा संख्या/रकबा उपरोक्त स्थित ग्राम सौनई कंजेहरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का मालिक व काबिज हूँ उक्त भूमि समस्त प्रकार के ऋण, भार रेहन, बय, हिबा और विवाद से पाक व साफ है। विक्रीत प्लॉट विक्रेता की क्रय सम्पत्ति है जिसे विक्रेता ने से क्रय किया था जिसका विवरण उपनिबन्धक महोदय मोहनलालगंज लखनऊ के कार्यालय में बही संख्या 1 जिल्द संख्या पृष्ठ संख्या से ...क्रमांकदिनांक पर पंजीकृत है। जो राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम दर्ज कागजात हैं। विक्रीत प्लॉट पर किसी प्रकार का कोई निर्माण आदि नहीं है विक्रयशुदा आराजी भूमि लखनऊ विकास प्राधिकारण एवं उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ की किसी भी योजना में अधिगृहीत नहीं है और न ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष/विक्रेता को प्राप्त है, अतः अपनी राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त वर्णित प्लॉट को बिलएवज मुबलिग/-रु० (..... रु० मात्र) में बदस्त क्रेता उपरोक्त को विक्रय करके विक्रीत सम्पूर्ण धनराशि नीचे दिये गये

भुगतान विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना उक्त प्लॉट पर क्रेता का अपने तुल्य करा दिया, आज की तारीख के बाद से प्रथम पक्ष/विक्रेता या उनके किसी वारिसान, कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे, तो उसका दावा इस बयानामा के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग द्वितीय पक्ष /क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जाये या कब्जा न मिले मिलिक्यत या हकीयत से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भारग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रुपया मय हर्जा खर्चा व नुकसान सहित प्रथम पक्ष/विक्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकाम की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे। जिसमें प्रथम पक्ष/ विक्रेता का कोई मुकाम उज्र न होगा द्वितीय पक्ष /क्रेता विक्रीत भूमि को राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लेवे इसमें हम मुक़िर को या हमारे परिवार एवं वारिसान को न कोई आपत्ति है और न कभी भविष्य में होगी।

भुगतान विवरण :-

1. मु0/- रुपये में से धनराशि चेक संख्या दिनांक..... प्राप्तकर्ता व बैंक/शाखा.....
.....

विक्रीत प्लॉट की मालियत का विवरण :-

खाता संख्या की गाटा संख्या हे0 विक्रेता के अपने सम्पूर्ण अंश में से प्लॉट संख्या रकबा वर्गफिट यानी वर्गमीटर मात्र जिसकी/-रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से उक्त प्लॉट की मालियत मु0/-रु0 होती है। चूंकि क्रेता है इसलिए नियमानुसार विक्रयमूल्य पर

प्रतिशत की दर से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क रु0/-रु0
अदा किया जा रहा है।

1. विक्रीत प्लॉट राजमार्ग ,जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है।
2. विक्रय विलेख विक्रेता व क्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के अनुसार टाईप किया गया है। विक्रय विलेख में किसी भी त्रुटि के लिए मसविदाकर्ता व टाईपकर्ता की कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं होगी।
3. विक्रेता व क्रेता की शिनाख्त गवाहों के पहचान के आधार पर की गई है।

अतएव यह विक्रय पत्र अपनी सभी इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर दबाव या नाजायज आग्रह के रुबरु गवाहन लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

दिनांक :-

गवाहन 1

विक्रेता के हस्ताक्षर

.....

निवासी-

मो0नं0-.....

गवाह 2

क्रेता के हस्ताक्षर

.....

निवासी-

मो0नं0-

टाईपकर्ता:-

मसविदाकर्ता:-

(मो0 काशिफ)

चैम्बर नं0-3 चौधरी नासिर पैलेस,
कैसरबाग, लखनऊ

(कुलदीप वर्मा)

एडवोकेट,
चैम्बर नं0-एफ.एफ.-3, चौधरी
बशीर पैलेस, सबरजिस्ट्रार
आफिस के सामने, लखनऊ
मो0नं0-9839613483